

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 62/2013

बउनवान

राज0 सरकार जयें पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)
(निगराकार)

बनाम

1. श्री मोरपाल पुत्र श्री सुन्दरनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मऊ ग्राम पंचायत मऊ,
पंचायत समिति अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत मऊ जयें ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला
बारां (राज.) (गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :- 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक
निर्णय दिनांक 01.06.2022 (निगराकार)

निगराकार द्वारा जयें अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मऊ ने दिनांक 05.03.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 894 साइज 36X33 कुल क्षेत्रफल 1188 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरुद्ध व अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2003-04 में की गयी अंकेक्षण जांच में वर्ष 2001 से 2004 तक जारी पट्टों बाबत आक्षेप गठित किया गया था। इस बाबत संभागीय स्तर की प्रशासनिक समिति में लिये गये निर्णयानुसार लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता द्वारा जांच की गई जिसमें भी उक्त पट्टा आबादी भूमि में जारी करना नहीं पाया जाता है। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 05.03.2003 को जारी पट्टा संख्या 894 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकार को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा गैर निगराकार क्रम 2 जयें अभिभाषक उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की। उपखण्ड अधिकारी,

राल के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 14.09.2021 से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैर निगराकार क्रम 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसकी किस्म गै.मु. खलिहान है।

हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस गैर निगराकार क्रम 1 अनुपस्थित रहे। गैर निगराकार क्रम 2 के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से गैर निगराकार क्रम 2 को पुनः तलब किया गया जिस पर गैर निगराकार क्रम 2 की ओर से प्रतिनिधि दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित हुये परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना गैर निगराकार क्रम 2 अनुपस्थित रहे।

हमने एकपक्षीय बहस उपस्थित अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का ना होकर गै. मु. खलिहान की भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 894 दिनांक 05.03.2003 निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस निगराकार पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को गैर मु. खलिहान की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरुद्ध जारी किया गया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम-1 श्री रामहेत पुत्र श्री बज्या माली को जारी पट्टा क्रमांक 894 दिनांक 05.03.2003 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।


(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां